

ई-मेल

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/स्थापना/बी-1/विविध-239/बिछिया/ 40

भोपाल, दिनांक 30/01/2026

//आदेश//

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 30(3) के अंतर्गत श्रीमती प्रगति श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3, कृषि उपज मंडी समिति बिछिया जिला मण्डला को स्वयं के व्यय पर अन्य आगामी आदेश तक कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर जिला जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण किया जाता है।

उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेंगी:-

1. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी पर मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 30 की उपधारा (4)(क) के अनुसार मूल मंडी में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा।
2. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी के मासिक वेतन एवं भत्ते कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर जिला जबलपुर से ही देय होंगे।
3. प्रतिनियुक्ति कर्मचारी के सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर कभी भी सक्षम स्वीकृति की अनुमति लेकर वापिस की जा सकती है।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Praveen Kumar Verma
Date: 29-01-2026
17:59:44

उप संचालक (स्थापना)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/स्थापना/बी-1/विविध-239/बिछिया/ 41

भोपाल, दिनांक 30/01/2026

प्रतिनिधि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर।
3. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति बिछिया जिला मण्डला/जबलपुर जिला जबलपुर। संबंधित कर्मचारी की भारमुक्ति/उपस्थिति से अवगत करावें।
4. श्रीमती प्रगति श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3, कृषि उपज मंडी समिति बिछिया जिला मण्डला की ओर पालनार्थ।
5. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

उप संचालक (स्थापना)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल